श्री नबाम रेबिआ (अरुणाचल प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यह मेरे राज्य अरुणाचल प्रदेश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं इस विषय को पहले भी इस सदन में रख चुका हूं। भौगोलिक दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन अभी तक भी वहाँ पर उसका अपना सैपरेट ऑल इंडिया ऑफिसर्स सर्विस कैडर नहीं है, like IAS, IPS and IFS, क्योंकि ये जो ऑफिसर्स आते हैं, ये दो-तीन साल बैठकर चले जाते हैं। यह चीज़ हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को हैम्पर करती है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भी यह मांग कई बार केंद्र में रखी है और अरुणाचल प्रदेश विधान सभा में भी बहुत बार इसका रेज़ोल्यूशन पास हुआ है। मैं चाहूंगा कि अगर अरुणाचल प्रदेश का डेवलपमेंट होना है और इसकी भलाई के लिए काम करना है तो वे ऑफिसर्स कम से कम पाँच-दस साल के लिए यहाँ बैठें। तभी अरुणाचल प्रदेश के विकास का काम होगा, वरना वे दो-तीन साल में क्या काम करेंगे? मैं केंद्र सरकार से दोबारा अनुरोध करता हूं कि अरुणाचल प्रदेश के लिए सैपरेट कैडर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज़-- IAS, IPS and IFS which means Indian Forest Service का सेपरेशन जल्दी किया जाए। माननीय उपसभापति जी, आपने मुझे सदन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the issue raised by the hon. Member, Shri Nebam Rabia: Shri Pabitra Margherita (Assam), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shri Baburam Nishad (Uttar Pradesh), Shrimati S. Phangnon Konyak (Nagaland), Shri Kamakhya Prasad Tasa, (Assam), Shri Rwngwra Narzary, (Assam), Shri Sujeet Kumar, (Odisha), Dr. Amar Patnaik (Odisha) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Now, Dr. Ashok Kumar Mittal; Demand for amendments/simplification of provisions with respect to FIR, Arrest and Bail.

Demand for amendments/simplification of provisions with respect to FIR, Arrest and Bail

डा. अशोक कुमार मित्तल (पंजाब) : माननीय उपसभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आज सदन में सरकार के समक्ष एक ऐसा मुद्दा रखना चाहूंगा, जो कानूनी है, लेकिन उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपनी बजट स्पीच के दौरान एक बात कही - 'Justice First' और देश में जो नए क्रिमिनल लॉज़ आ रहे हैं, उनके बारे में भी कहा। महोदय, हमारे देश में जो अंडरट्रायल्स हैं, जब हम उनकी परिस्थिति देखते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे क्रिमिनल लॉज़ में एफआईआर, अरेस्ट और बेल के प्रोविज़न्स में क्लैरिटी न होने के कारण पुलिस प्रशासन के लिए यह कमाई का एक माध्यम बन गया है। ऐसे बहुत सारे केस भी सामने आए हैं, जिनमें माइनर ऑफेन्सेज़ के लिए लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का स्पष्ट उल्लंघन है। हमारे

देश की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन पर है और भ्रष्टाचार की शुरुआत भी यहीं से होती है, जिसका सबसे साधारण तरीका एफआईआर की धमकी देना है। कानूनी प्रावधानों का गलत इस्तेमाल करके पुलिस शोषण करने के लिए किसी भी कानून के किसी भी सैक्शन को एप्लाई करके लोगों को जेल में डाल देती है। पीएसआई रिपोर्ट के मुताबिक दिसम्बर 2022 तक 5 लाख, 70 हज़ार कैदी थे। इसमें 75 प्रतिशत यानी 4 लाख, 30 हज़ार कैदी अंडरट्रायल हैं। हमारी जेल्स ओवरक्राउडिड हैं और काफी केसेज़ में युवा, बुजुर्ग, महिलाओं को भी पुलिस गलत एफआईआर करके जेल में डाल देती है। कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 'Bail is a matter of right and jail is an exception.' ऐसे भी कई केसेज़ हैं, जहाँ हमारे माननीय डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज बेल नहीं देते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बेल हो जाती है। इसका कारण है judicial discrimination in granting bail. जिसमें हर जज अपने विवेक के हिसाब से बेल की कंडीशन निर्धारित करता है। मैं इस सदन के सामने एक इंटेरेस्टिंग केस लाना चाहूंगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक केस में बेल देते वक्त यह कंडीशन लगाई थी कि मुज़रिम किसी हॉस्पिटल को 25 हज़ार रुपये का एलईडी टीवी दान में देगा। एक अन्य केस में यह कहा गया कि मुलज़िम दो महीने तक सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करेगा। मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने ब्रिटिश काल के क्रिमिनल लॉज़ को रिपील किया और भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाया गया, जिसमें एफआईआर, बेल और अरेस्ट के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी दी गई है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the issue raised by the hon. Member, Dr. Ashok Kumar Mittal: Shri Saket Gokhale (West Bengal), Shri Sanjeev Arora (Punjab), Shri Jawhar Sircar (West Bengal), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Jose K. Mani (Kerala), Shri Kanakamedala Ravindra Kumar (Andhra Pradesh), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Dr. Amar Patnaik (Odisha) and Shrimati Vandana Chavan (Maharashtra).

Please conclude. ...*(Interruptions)*... The time is over. Please. *(Time-bell rings.)* Shri Abdul Wahab. Shri A.A. Rahim is associating. Concern over various problems faced by Railway passengers in Kerala.

Concern over various problems faced by Railway passengers in Kerala.

SHRI ABDUL WAHAB (Kerala): Sir, in Kerala, as usual, we don't have any special zone. The passengers are facing huge difficulties. All railway stations are crowded. Keralites are the most respectful and responsible passengers of the Indian Railways. There are less defaulters, I mean, those who travel without tickets. Ninety-nine per cent Keralites travel with tickets. I request our Ministry to specifically consider one or two items. Nilambur is the station where the railway ends. It was started by